www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 28.01.2017

## सुश्री शेहला मसूद, आर.टी.आई. कार्यकर्ता की हत्या के सम्बन्ध में चार आरोपियों को आजीवन कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, इन्दौर (मध्य प्रदेश) ने सुश्री शेहला मसूद, आर.टी.आई. कार्यकर्ता की हत्या के सम्बन्ध में चार आरोपियों यथा सुश्री ज़ाहिदा परवेज ; श्री सबा फारूकी ; श्री साकीब अली एवं श्री तबीश खान (सभी प्राइवेट व्यक्ति) को आज दोषी ठहराया एवं इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने मध्य प्रदेश सरकार के निवेदन एवं इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त अधिसूचना के आधार पर दिनांक 03.09.2011 को मामला दर्ज किया तथा कोह-ए-फिजा पुलिस स्टेशन, जिला भोपाल (मध्य प्रदेश) में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध संख्या 533/ 2011 में पूर्व में दर्ज मामले की जॉंच को अपने हाथों में लिया। यह मामला, भोपाल की सुश्री शेहला मसूद, आर.टी.आई. कार्यकर्ता एवं व्यापारी महिला की दिनांक 16.08.2011 को पूर्वाहन लगभग 11.20 मिनट पर, जबकि वह ओल्ड साफिया कॉलेज रोड, भोपाल स्थित अपने घर के सामने कार में बैठ रही थी, गोली मार कर की गई दिन दहाड़े हत्या से सम्बन्धित आरोप पर दर्ज हुआ।

जॉंच के पश्चात, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 120-बी, 201 एवं शस्त्र अधिनियमकी धारा 25, 27 के तहत दिनांक 25.05.2012 को पॉंच आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया।

विचारण अदालत ने चारों आरोपियों को कसूरवार पाया व उन्हे दोषी ठहराया। एक आरोपी को अदालत द्वारा क्षमा किया गया।

**********